जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी।

सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांकित 21.03.2018 के अनुपालन में जनपद झांसी स्थित जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लिनिक में प्रयोग हेतु अधोलिखित सामग्री क्रय किये जाने हेतु विभिन्न पंजीकृत विक्रेताओं से कोटेशन आमंत्रित किये जाने है।

अतः इच्छुक पंजीकृत विक्रेता निम्नलिखित सामग्री क्रय किये जाने हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अपनी फर्म का कोटेशन नजारत अनुभाग में केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, झांसी को दिनांक 26.03.2018 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें-

Sl.No.	Discription of the Items	Quantity
1.	Desktop Computer	1
2.	Computer printer with scanner	1
3.	Table	1
4.	Office Chair	7

नियम व शर्तें :-

1. समस्त सामग्री जिला कारागार के नियत स्थान तक पहुंचाने एवं उसके इंस्टालेशन इत्यादि का खर्च आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
2. अंकित सामग्री की संख्या एवं मात्रा घट या बढ़ सकती है।
3. भुगतान समस्त सामग्री स्थापित होने के पश्चात ही किया जायेगा ।
4. आवेदक को कोटेशन के साथ सामग्री का मूल्य व मॉडल तथा ब्रांड का नाम भी अंकित कर संलग्न करना होगा ।
5. वारंटी अंतराल में सामग्री खराब होने पर उसको लाने एवं उसे पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने व्यय/खर्च पर टेण्डर लेने वाले फर्म की होगी ।
6. किसी भी कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश झांसी में निहित है। इसके लिए कारण बताने हेतु जनपद न्यायाधीश झांसी बाध्य नहीं होगें ।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय, झांसी होगा ।

इस संबंध में नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) से अनुरोध है कि उक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आफिसियल बेवसाइट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, झांसी की आफिसियल बेवसाइट www.ecourts.gov.in/jhansi पर भी अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

21.3.18

(शकील अहमद खान)
अध्यक्ष- क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0),
झांसी।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनापट पर चस्पा करने हेतु प्रेषित-

1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी।
2. नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय झांसी।
3. कार्यालय, जिलाधिकारी, झांसी।
4. कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
5. कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
6. कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी, झांसी।
7. कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी।
8. सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।

21.3.18

(शकील अहमद खान)
अध्यक्ष- क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0),
झांसी।